

संख्या:फिन-ए-सी(6)-2/2023
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक:

प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-171002, 30/03/2024

विषय:- हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2)।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) में प्रावधित की गई राशि जो बजट अनुमान वित्त वर्ष 2024-25 से सम्बन्धित है, को विधान सभा द्वारा बिना किसी परिवर्तन के दिनांक 28 फरवरी, 2024 को पारित कर दिया गया है। राज्यपाल महोदय ने भी उपरोक्त विधेयक को अपनी स्वीकृति (assent) दिनांक 19 मार्च, 2024 को प्रदान कर दी है तथा यह विधेयक वर्ष 2024 के अधिनियम संख्यांक 6 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में दिनांक 27 मार्च, 2024 में प्रकाशित हो चुका है।

भवदीय,




(प्रदीप कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-171002, 30/03/2024.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.
2. प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.
3. उप-विधिपरामर्शी एवं उप सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.



(प्रदीप कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।